न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी रूबी अंसार R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या 5/2018 निर्णय दिनांक :–27.10.2025

उनवानी प्रार्थना पत्र :

रामप्रसाद पुत्र मोहन जाति ब्राह्मण निवासी मुगलाना हाल निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0

–वादी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर, टोंक
2. तहसीलदार महोदय, दूनी जिला टोंक राज0

–प्रतिवादीगण –

उपस्थितिः–
श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता वादी

पेरोकार सरकार

दावा उद्घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी की साबिक खसरा नम्बर 240/1 में 5 बीघा 6 बीस्वा भूमि ग्राम मुगलाना तहसील दूनी में नियमानुसार दिनांक 30.11.1975 को आवंटित की गई थी। और मौके पर जाकर हल्का पटवारी द्वारा रूबरू गवाहान कब्जा संभलाया गया था। आवंटन से पूर्व सम्पूर्ण प्रक्रिया विधि अनुसार अपनायी गयी थी तथा आवंटन पट्टे की राशि भी वादी द्वारा जमा करायी गयी थी। आवंटन के पश्चात् आवंटन के आधार पर नामांतकरण संख्या 569 दिनांक 16.02.1978 को गैर खातेदारी का वादी के नाम खोल दिया गया था और उसके पश्चात् नामांतकरण संख्या 28 दिनांक 10.06.1989 को केम्प गेरोली में गैर खातेदारी से खातेदारी का खोल दिया गया था और जमाबंदी सम्वत् 2034 से 2037 मे नामांतकरण सं0 569 का नोट डालते हुए वादी के नाम गैर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में अंकित कर दी गई थी। सम्वत 2037 के बाद नई जमाबन्दी बननी थी लेकिन देवली तहसील में सेटलमेंट प्रक्रिया चालू हो गई थी इस कारण नई जमाबंदी नही बनी। सेटलमेंट के दौरान काफी अनियमितताएं की गई है और उक्त साबिक खसरा नं0 240/1 के मिन नंबर अंकित करते हुए नये नम्बर 1627 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर 405 रकबा 0.21 है0, खसरा नम्बर 1628 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 1629 रकबा 0.56 है0, बना दिये गये जिसमें से हाल खसरा नम्बर 1627 रकबा 0.11 है0 की तो वादी की गैर खातेदारी में लगा दिया गया और खसरा नम्बर 405, 1628, 1629 को सिवायचक राज्य सरकार के नाम अंकित कर दिया गया जबकि उक्त तीनो खसरा नम्बर पर आज भी वादी का कब्जा है और सेटलमेंट के दौरान इनको वादी की खातेदारी में लगाना चाहिये था इसलिए यह वाद घोषणा खातेदारी का श्रीमान् की सेवा में पेश है। वादी को उक्त भूमि अलॉट होने के बाद वादी ने इसमें काफी पैसा लगाकर इस भूमि को उपजाऊ बनाया है। उक्त आवंटन अभी तक किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया गया है। प्रतिवादीगण पटवारी के जरिये आये दिन वादी के कब्जे काश्त में मजामहत करते है इसलिए उन्हे जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक है कि वह स्वंय जरिये एजेंट, नोकर चाकर के वादी के कब्जे काश्त में मजामहत नही करें तथा उक्त भूमि को अन्य को आवंटन नही करें। वादी को 5 बीघा 6 बीसवा भूमि आवंटित हुई थी जिसको हेक्टयर में परिवर्तित करने पर 1.35 है0 होता है लेकिन वादी को 0.11 है0 की गैर

खातेदारी दे दी गई है और वादी 0.87 है0 जो उपरोक्त तीनो खसरा नम्बरान की है को ही क्लेम कर रहा है क्योंकि वादी का 0.87 है0 भूमि पर की कब्जा है। उक्त वाद में राज्य सरकार एवं उसके प्रतिनिधियों को पक्षकार बनाया गया है। मामला अर्चेन्ट नेचर का होने के कारण यह दावा बिना धारा 80 सीपीसी के नोटिस दिये ही पेश किया जा रहा है। कानूनन दो माह का नोटिस देना आवश्यक है दफा 80 (2) सीपीसी प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र अलग से पेश है। बिनाय दावा आज से 15 दिन पूर्व उस समय उत्पन्न हुआ जब हल्का पटवारी ने वादी को विवादित भूमि से बेदखल करने की धमकी दी जो निरन्तर रूप से जारी है। विवादग्रस्त आराजीयात व पक्षकारान माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से प्रस्तुत वाद का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। दावा अ0 धारा 92ए, 88, 188 राज0 टीनेन्सी एक्ट के तहत अन्दर मियाद पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है।

वादी की अधियाचना है कि :–

(अ) दावा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् घोषणा खातेदारी डिक्री किया जाकर वादी को हाल खसरा नम्बर 1627 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर 405 रकबा 0.21 है0, खसरा नम्बर 1628 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 1629 रकबा 0.56 है0, ग्राम मुगलाना तहसील दूनी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे और इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड मे दुरस्ती की जावें।

(ब) दावा बहक वादि विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे स्वंय जरिये एजेंट, नोकर चाकर के हाल खसरा नम्बर 405, 1628, 1629 वाके ग्राम मुगलाना में वादी के कब्जे काश्त में मजामहत नही करें उक्त भूमि अन्य किसी को आवंटित नही है।

(स) खर्चा मुकदमा दिलाया जावे तथा अन्य सहायता जो वादी के हित मे लाभप्रद हो, प्रदान करायी जावें।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।

तहसीलदार देवली ने जवाब दावा पेश किया जो इस प्रकार है:– चरण संख्या 1 में आ0ख0न0 240/1 रकबा 5 बीघ 6 बिस्वा भूमि मुगलाना वादी को आवंटित होना स्वीकार है शेष सिद्ध करने का भार वादी का है। चरण संख्या 2 मुताबिक नामान्तकरण संख्या 569 ग्राम मुगलाना गैर खातेदारी एवं नामांतकरण संख्या 28 गैर खातेदारी से खातेदारी दिया जाना स्वीकार है मुताबिक जमाबंदी 2034 से 2037 में वादी गैर खातेदार ही दर्ज है। इसके पश्चात् का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है। चरण संख्या 03 अस्वीकार है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा मौके पर सर्वे कर कब्जेनुसार रिकार्ड तैयार कर दिया गया है। भू–प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान विधिवत् पर्चा जारी किया जाता है तत्समय वादी द्वारा कोई आपत्ति नही गई है। भूमि आ0ख0न0 405, 1628, 1629 गै0मु0 सिवायचक दर्ज रिकार्ड है जिससे वादी का कोई सरोकार नही है कब्जा होने का कोई सबूत वादी द्वारा नही दिया गया है। चरण संख्या 4 सिद्ध करने का भार वादी का है। चरण संख्या 05 अस्वीकार है। मुताबिक रिकार्ड भूमि सिवायचक है। जिस पर अतिक्रमण पाये जाने पर विधिवत् अतिक्रमी के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत कार्यवाही करने का अधिकार प्रतिवादी न0 2 को है, कानूनन अधिकार प्राप्त होने से स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता। चरण संख्या 6 आंशिक स्वीकार है। वादी को भूमि आवंटन होना स्वीकार है। शेष अस्वीकार है। मोके पर कब्जानुसार भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा बाद नियमानुसार कार्यवाही कर रिकार्ड तैयार किया गया है कब्जा वादी द्वारा कोई रिकार्ड प्रस्तुत नही किया गया है। चरण संख्या 7,8,9,10 कानूनी है। चरण संख्या 11 अस्वीकार है भूमि मुतवादिया आ0ख0न0 405, 1628, 1629 वाके ग्राम मुगलाना गै0मु0 सिवायचक है जिससे वादी का कोई सरोकार नही है। राजस्थान भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत प्रतिवादी

संख्या 2 को अतिक्रमण पाये जाने पर अतिक्रमी के विरूद्ध नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही की जाने का अधिकार प्राप्त है। प्रतिवादीगण को कानूनन अधिकार प्राप्त होने से स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है। अतः वाद वादी मय खर्चा फरमाया जावे।

पत्रावली में तनकियात बिन्दू कायम कर सुनाये गये।

पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–1 स्वयं वादी रामप्रसाद पुत्र मोहन जाति ब्राहमण निवासी मुगलाना हाल निवासी दूनी तहसील दूनी का पेश कर प्रदर्श दिनांक 27.01.2020 को करवाये जो प्रदर्श–1 से प्रदर्श 17 एवं साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–2 शामिल पत्रावली है। प्रदर्श–1 से प्रदर्श 17 एवं साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–2 से मेरा दावा पूर्णतया साबित है। अतः दावा डिक्री किया जावे।

पेरोकार सरकार ने जिरह नहीं करना जाहिर किया।

साक्ष्यवादी बंद की गई।

पेरोकार सरकार ने साक्ष्य नहीं करवाना जाहिर किया।

प्रतिवादी साक्ष्य बंद की गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में कथन किया कि हाल खसरा नम्बर 1627 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर 405 रकबा 0.21 है0, खसरा नम्बर 1628 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 1629 रकबा 0.56 है0, ग्राम मुगलाना तहसील दूनी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे और इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड मे दुरस्ती की जावें। वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे स्वंय जरिये एजेंट, नोकर चाकर के हाल खसरा नम्बर 405, 1628, 1629 वाके ग्राम मुगलाना में वादी के कब्जे काश्त में मजामहत नही करें उक्त भूमि अन्य किसी को आवंटित नही है। खर्चा मुकदमा दिलाया जावे तथा अन्य सहायता जो वादी के हित मे लाभप्रद हो, प्रदान करायी जावें। अतः वाद वादी डिक्री स्वीकार किया जावे।

पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में जवाब के तथ्यो का दोहरान किया।

<u>तनकीवार निर्णयः–</u>

1. **आया वादी** हाल खसरा नम्बर 1627 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर 405 रकबा 0.21 है0, खसरा नम्बर 1628 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 1629 रकबा 0.56 है0, ग्राम मुगलाना तहसील दूनी का खातेदार काश्तकार घोषित करवाकर दुरूस्त राजस्व रिकार्ड करवाने का अधिकारी है?

–वादी–

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। उक्त वाद वर्णित भूमि आ0ख0न0 405, 1628, 1629 गै0मु0 सिवायचक दर्ज रिकार्ड है जिससे वादी का कोई सरोकार नही है कब्जा होने का कोई सबूत वादी द्वारा नही दिया गया है।

उक्त राजस्व रिकॉर्ड का विवेचन करने पर यह स्पष्ट होता है कि उक्त वाद वर्णित भूमि आ0ख0न0 405, 1628, 1629 गै0मु0 सिवायचक दर्ज रिकार्ड है एवं वादी द्वारा कब्जा होने का कोई सबूत पेश नही किये गये है।

अतः यह तनकी विरूद्ध वादी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

2. **आया वादी** आ0ख0न0 405, 1628, 1629 वाके ग्राम मुगलाना तहसील दूनी में कब्जे काश्त में मजामहत नही करने व उक्त भूमि को किसी अन्य को आवंटित न करने बाबत् प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अधिकारी है?

—वादी—

तनकी नं. 2 का निर्णय आ0ख0न0 405, 1628, 1629 वाके ग्राम मुगलाना गै0मु0 सिवायचक दर्ज रिकार्ड है। राजस्थान भू—राजस्व अधि0 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत प्रतिवादी संख्या 2 को अतिक्रमण पाये जाने पर अतिक्रमी के विरूद्ध नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही की जाने का अधिकार प्राप्त है। अतः विरूद्ध वादी प्रतिवादीगण के पक्ष में किया जाता है।

3. आया प्रतिवादीगण आ0ख0न0 405, 1628, 1629 वाके ग्राम मुगलाना तहसील दूनी में गै0मु0 सिवायचक दर्ज होने व वाद के कब्जे काश्त के सबूत नही होने से वाद वादी खारीज योग्य है। तनकी नं. 1,2 के निर्णय अनुसार तनकी नं. 3 का निर्णय विरूद्ध वादी प्रतिवादीगण के पक्ष में किया जाता है।

आदेश

तनकीवार निर्णय तनकी न. 1 से 3 विरूद्ध वादी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित हो चुके है। दावा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् घोषणा खातेदारी डिक्री किया जाकर वादी को हाल खसरा नम्बर 1627 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर 405 रकबा 0.21 है0, खसरा नम्बर 1628 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 1629 रकबा 0.56 है0, ग्राम मुगलाना तहसील दूनी का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने और इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड मे दुरस्ती किये जाने बाबत् पेश वाद वादी खारीज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 27.10.2025 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
देवली
देवली

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी) डिक्री मुकदमा इब्तदाई

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी.....मुकाम देवली व अलजाम रूबी अंसार आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोक.....

उनवानी दावा :

रामप्रसाद पुत्र मोहन जाति ब्राह्मण निवासी मुगलाना हाल निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0

–वादी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर, टोंक
2. तहसीलदार महोदय, दूनी जिला टोंक राज0

–प्रतिवादीगण –

उपस्थितिः–
श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता वादी

पेरोकार सरकार

दावा उद्घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 5 सन् 2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ रूबी अंसार आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री अशोक कुमार गुप्ता अधिवक्ता वादी मिनजामिन मुद्दई रूबरू पेरोकार सरकार मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है कि

आदेश

तनकीवार निर्णय तनकी न. 1 से 3 विरूद्ध वादी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित हो चुके है। दावा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् घोषणा खातेदारी डिक्री किया जाकर वादी को हाल खसरा नम्बर 1627 रकबा 0.11 है0, खसरा नम्बर 405 रकबा 0.21 है0, खसरा नम्बर 1628 रकबा 0.10 है0, खसरा नम्बर 1629 रकबा 0.56 है0, ग्राम मुगलाना तहसील दूनी का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने और इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड मे दुरस्ती किये जाने बाबत् पेश वाद वादी खारीज/अस्वीकार किया जाता है।

निजी.....मुवलिक.....बाबत् .....

खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह ..... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक ..... की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 27 माह 10 सन् 2025 को जारी किया गया।

दस्तख्त .....उपखण्ड अधिकारी.....

ओहदा .....देवली (टोंक).....

मुहर

मुददई	रू.	पै.	मुददायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए